

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

४।

समरत पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सबवित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
आवश्यक लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : ००९१-(०७५१) २४४२८०१  
(कार्यालय)  
२४४२४६२ (विवास)  
फैक्स : (००९१-०७५१-२३४१७६८  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwayi.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/२०१२/ १५७।

दिनांक : २८/१२/१४

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक ०४ जनवरी, २०१४ के पद क्रमांक (०२) के निर्णयानुसार विद्या कॉलेज ग्वालियर को सत्र २०१३-१४ के लिये प्रस्तावित/संचालित, बी.बी.ए.- (द्वितीय), बी.सी.ए.- (द्वितीय), एवं बी.कॉम., (द्वितीय), प्लेन/ कम्प्यूटर प्लीकेशन) बी.एस.-सी. (द्वितीय), (आ.पा., भौतिक रसायन, गणित,), बायोटेक्नोलॉजी अति.वि पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

१. २८/१७ के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति ३ माह के अंदर कर ली जायें, अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार न किया जायें।
२. महाविद्यालय में रु. ५०,०००/- की सभी पाठ्यक्रमों के लिये पुस्तकें क्रय किया जायें।
३. प्रयोगशाला में भी रु. २५,०००/- के Chemicals एवं अन्य सामग्री क्रय की जायें।
४. गैर शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी २८/१७ के अंतर्गत की जायें।
५. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना की जायें।
६. विद्यार्थियों के खेलकूद के लिये मैदान व सामग्री की व्यवस्था की जायें।
७. परिनियम २८/१७ का पालन किया जायें।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

प्रति,

१. प्राचार्य विद्या कॉलेज ग्वालियर
२. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
३. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
४. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
५. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)